बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10 नि0 (यो0) 05/2016 ..... दिनांक-...../2016

वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 40/2014 –2816 दिनांक–14.09.2016 एवं प्रतिस्थानी आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 40/2014 –2816 दिनांक–23.11.2016 के क्रम में "समेकित मुर्गी विकास योजना" के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के सफल कार्यान्वयन हेतु "कार्यान्वयन अनुदेश"।

विभागीय स्वीकृति आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 40/2014 –2816 दिनांक–14.09.2016 एवं तत्क्रम में प्रतिस्थानी आदेश पत्र संख्या–6 एस0एस0 (6) 40/2014 –2816 दिनांक–23.11.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रूपये 1988.20 लाख (उन्नीस करोड़ अठासी लाख बीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म (5,000 एवं 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले) की स्थापना लागत पर अनुदान (सामान्य जाति के लाभुको हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुको हेतु 40 प्रतिशत) तथा बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 4 वर्षो तक 50 प्रतिशत राशि अनुदान देकर लेयर मुर्गी पालन को प्रोत्साहित करने की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त राज्यादेश की कंडिका–5 के आलोक में योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश (कार्यान्वयन अनुदेश) निर्गत किया जाता है:–

1– उद्देश्य :– इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंडा उत्पादन में वृद्धि करना तथा राज्य को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है।

2– योजना के मुख्य बिन्दु :–

(i) निजी क्षेत्र में अंडा उत्पादन में वृद्धि करने हेतु लेयर मुर्गी फार्म (5,000 एवं 10,000 लेयर मुर्गी की क्षमता वाले) फार्म की स्थापना हेतु अनुदान दिया जायेगा। सामान्य जाति के लाभुकों को 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 40 प्रतिशत तथा बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 4 वर्षो तक 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी।

(ii) 5,000 क्षमता के एक लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) की स्थापना पर अधिकतम कुल 48.00 (अड़तालिस लाख) रूपये एवं 10,000 क्षमता के एक लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) की स्थापना पर अधिकतम कुल 85.00 (पचासी लाख) रूपये की अनुमानित लागत आकलित है।

(iii) सामान्य जाति के लाभुकों को 10,000 क्षमता के एक लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर परियोजना लागत का 30% राशि अर्थात अधिकतम 25.50 (पच्चीस लाख पचास हजार) रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

(iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 5,000 क्षमता के एक लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर परियोजना लागत का 40% राशि अर्थात अधिकतम 19.20 (उन्नीस लाख बीस हजार) रूपये एवं 10,000 क्षमता के एक लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर परियोजना लागत का 40% राशि अर्थात अधिकतम 34.00 (चौंतीस लाख) रूपये अनुदान दिया जायेगा।

(v) सामान्य जाति के लाभुकों द्वारा 10,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर रूपये 10.00 लाख तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 10,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर रूपये 8.50 लाख एवं 5,000 क्षमता वाले लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर रूपये 4.80 लाख का व्यय Margin Money के रूप में स्वयं किया जायेगा एवं शेष राशि बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त की जायेगी। परियोजना रिपोर्ट (Project Report) की प्रति अनुलग्नक–1 (5,000 क्षमता) एवं अनुलग्नक–2 (10,000 क्षमता) नमूना के रूप में संलग्न है। *लाभुक द्वारा आवेदन के समय वास्तविक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (Detailed Project Report) संलग्न करना अनिवार्य होगा।*

(vi) इसके अतिरिक्त निम्नांकित विवरणी के अनुरूप कुल चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष योजना स्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार लाभुकों को बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जायेगी। विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–3 (Interest on Bank Loan and Subsidy Calculation) एवं अनुलग्नक –4 (बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान हेतु व्यय की अनुमानित राशि) संलग्न।

क्र0 सं0	कोटि	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	प्रति ईकाई स्थापना हेतु बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत अनुदान राशि (अधिकतम राशि, लाख रूपये में)				
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल अनुदान राशि (अधिकतम)
1	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	5,000	1.44	1.08	0.72	0.36	3.60
2	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	10,000	2.55	1.89	1.23	0.57	6.24
3	सामान्य	10,000	2.97	2.22	1.47	0.72	7.38

(vii) योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में किया जायेगा।

3– लाभुक का चयन (आवेदन पत्र/योग्यता इत्यादि) :–

(i) इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु **समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कर** इच्छुक किसानों/उद्यमियों/मुर्गीपालकों से आवेदन आमंत्रित किया जायेगा। विज्ञापन का प्रकाशन सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जायेगा।

(ii) **आवेदन ऑनलाईन समर्पित करने की अंतिम तिथि** समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन होगी।

(iii) योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक किसानों/उद्यमियों/मुर्गीपालकों को **ऑनलाईन आवेदन** करना होगा। इसके लिये विभागीय वेबसाईट ahd.bih.nic.in पर दिये गये लिन्क (link) पर जाकर **आधार संख्या/मोबाईल नम्बर** से **पंजीकरण** (Registration) करना होगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सभी वांछित कागजातों/अनुलग्नकों को ऑनलाईन (Online) अपलोड (upload) करना होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने के बाद आवेदक को एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगा जिसमें उनके द्वारा जमा किये गये सभी कागजातों की प्राप्ति एवं आवेदन आई.डी. अंकित होगा। प्राप्ति रसीद में अंकित आई.डी./आधार संख्या/मोबाईल नम्बर एवं पासवर्ड से लॉग–इन (Login) कर आवेदन की स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

(v) एक आवेदक द्वारा एक बार आवेदन समर्पित करने के बाद इस योजना के तहत लेयर फार्म की स्थापना पर अनुदान के लिये पुनः आवेदन नहीं किया जायेगा।

(vi) लाभुक को लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। 5,000 क्षमता लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु कम से कम 0.50 एकड़ भूमि तथा 10,000 क्षमता लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु कम से कम 1.00 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित भूमि सड़क से जुड़ा रहना आवश्यक होगा ताकि परिवहन इत्यादि सुविधाजनक रूप से हो सके। भूमि अपनी हो अथवा लीज पर ली गई हो और आवेदन स्वीकृति के समय कम से कम दस वर्षो के लिए भूमि लीज की अवधि शेष हो। सीलींग जमीन पर इस योजना का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन पत्र के साथ लेयर फार्म स्थापित करने हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होने का ब्यौरा–भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र (Land Possession Certificate), जमीन का विवरण एवं अद्यतन लगान रसीद, यदि लीज हो तो निबंधित लीज एकरारनामा की प्रति जमा करना होगा। उक्त एकरारनामा में यह अंकित रहना अनिवार्य होगा कि भूमि पर लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) का निर्माण किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित लेयर फार्म का एक नजरी नक्शा भी जमा करना होगा।

(vii) लाभुक के चयन में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त तथा अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस हेतु आवेदक को कुक्कुटपालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, कुक्कुटपालन से संबंधित अन्य कोई प्रमाण पत्र एवं अनुभव संबंधी साक्ष्य जमा करना होगा।

(viii) लेयर फार्म स्थापित करने हेतु लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (निम्नांकित विवरणी के अनुरूप) की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य (यथा–अद्यतन बैंक पास बुक/बैंक सावधि जमा रसीद की छाया प्रति–संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक द्वारा सत्यापित/राशि उपलब्धता का अन्य साक्ष्य) जमा करना अनिवार्य होगा :–

क्र0 सं0	लाभुक की कोटि	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	परियोजना लागत (लाख रूपये में)	बैंक ऋण से प्राप्त राशि (स्वलागत की स्थिति में शून्य)	लाभुक के स्तर से व्यय की जाने वाली राशि (लाख रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	सामान्य	10,000	85.00	49.50	10.00
2		10,000	85.00	शून्य *(स्वलागत)*	59.50
3	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	10,000	85.00	42.50	8.50
4		10,000	85.00	शून्य *(स्वलागत)*	51.00
5		5,000	48.00	24.00	4.80
6		5,000	48.00	शून्य *(स्वलागत)*	28.80

(ix) बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया लाभुक के द्वारा स्वयं की जायेगी। बैंक द्वारा लाभुक के ऋण ओवदन को अस्वीकृत कर दिये जाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का आवेदन/स्वीकृति पत्र स्वयं निरस्त समझा जायेगा।

(x) स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने वाले लाभुक को प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि उनके द्वारा व्यय की जाने वाली राशि की उपलब्धता संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये। स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने पर बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा।

(xi) Prevention of Money Laundering Act, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप लाभुक द्वारा राशि के स्रोत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा तथा तत्संबंधी साक्ष्य आवेदन पत्र के साथ देना होगा।

(xii) पूर्व में विभागीय स्तर से लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किये गये लाभुकों को इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

4– लाभुक की चयन प्रक्रिया :–

(i) लाभुकों का प्रारंभिक चयन (Screening) पशुपालन निदेशालय के स्तर पर किया जायेगा। आवेदक द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र एवं सभी संलग्न कागजातों की जाँच हेतु संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली **चार–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** के द्वारा की जायेगी जो निम्नवत् होगी :–

(क) संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय – अध्यक्ष

(ख) महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना – सदस्य

(ग) प्रभारी पदाधिकारी (योजना), पशुपालन निदेशालय – सदस्य

(घ) Admin, Online Application System – सदस्य

(ii) उक्त **चार–सदस्यीय स्क्रीनिंग समिति** द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों (संलग्न कागजातों सहित) की जाँच की जायेगी। जाँच के क्रम में योग्य/अयोग्य पाये गये सभी आवेदको को ई–मेल के द्वारा सूचित किया जायेगा। अयोग्य पाये गये आवेदको के द्वारा यदि कोई आपत्ति (अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर) की जाती है, तो उन आपत्तियों के निस्तारण हेतु पुनः **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा एक बैठक की जायेगी जिसमें आपत्ति किये गये अयोग्य आवेदको को उपस्थित रहना होगा। बैठक की तिथि की सूचना सभी अयोग्य पाये गये आवेदको को ई–मेल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी। सभी आपत्तियों का निस्तार करने के उपरान्त सभी योग्य आवेदको की जिला–वार/कोटि–वार सूची तैयार की जायेगी तथा सभी आवेदको को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

(iii) इसके उपरान्त **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार) से पाँच गुणा अधिक संख्या में योग्य आवेदको की सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में से वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये निर्धारित कुल लक्ष्य (कोटिवार) से प्रथम चरण में तीन गुणा अधिक संख्या में एवं द्वितीय चरण में शेष योग्य आवेदको के आवेदन पत्र को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** के स्तर से स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँच इत्यादि कराया जायेगा।

(iv) जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर पर गठित की जाने वाली **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अध्यक्ष के रूप में तथा सहायक कुक्कुट पदाधिकारी एवं जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) रहेंगे। यदि सहायक कुक्कुट पदाधिकारी/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक में पद रिक्त हो अथवा स्वीकृत नहीं हो, वहाँ संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के द्वारा जिला अन्तर्गत पदस्थापित किन्हीं अन्य वरीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनीत किया जायेगा।

(v) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त आवेदक द्वारा दी गई विवरणी सही पाये जाने पर संलग्न **प्रपत्र–2** में अपनी अनुशंसा के साथ पशुपालन निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी योग्य आवेदको की वरीयता सूची (कोटि–वार) तैयार की जायेगी तथा लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों का अंतिम रूप से चयन (कोटि–वार) किया जायेगा।

(vii) लाभुकों के अंतिम रूप से चयन में लेयर फार्म स्थापित करने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि/समय को प्राथमिकता दी जायेगी अर्थात लाभुकों की वरीयता सूची **पहले आओ पहले पाओ** के आधार पर तैयार की जायेगी।

(viii) लाभुकों का अंतिम रूप से चयन निदेशक, पशुपालन की अध्यक्षता में गठित **चयन समिति** द्वारा किया जायेगा। लाभुकों के चयन हेतु **चयन समिति** का गठन निम्नवत् किया जायेगा :–

(क) निदेशक, पशुपालन, बिहार – अध्यक्ष।

(ख) संयुक्त निदेशक (मु0/प0स्वा0), पशुपालन निदेशालय – सदस्य।

(ग) निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान – सदस्य।

(ix) **चयन समिति** द्वारा लाभुकों के अंतिम चयन के उपरांत निदेशक, पशुपालन के स्तर से लाभुकों का चयन संबंधी **स्वीकृति पत्र** विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–3)** में निर्गत किया जायेगा एवं इसकी प्रति संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

(x) स्वीकृति पत्र निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर चयनित लाभुकों को विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/– का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

5– लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण एवं अनुदान की राशि का भुगतान :–

(i) लाभुक के द्वारा एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी सूचना लाभुक द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी। लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु चयनित सभी लाभुकों से प्राप्त तत्संबंधी प्रतिवेदन को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा संकलित कर समेकित प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ii) लाभुक के द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के **30 दिनों** के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा चयनित लाभुक का स्थल निरीक्षण कर पशुपालन निदेशालय को लेयर फार्म की स्थापना की अद्यतन स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में संबंधित लाभुक का स्वीकृति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए लाभुक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iv) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान निदेशक, पशुपालन द्वारा दो किस्तों में निम्नवत् किया जायेगा :–

क्र0	कोटि	लेयर मुर्गी	परियोजना	अनुमान्य अनुदान राशि (लाख रूपये में)

सं0		फार्म की क्षमता	लागत (लाख रूपये में)	प्रथम किस्त – 60 प्रतिशत	द्वितीय किस्त – 40 प्रतिशत	कुल
1	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	5,000	48.00	11.52	7.68	19.20
2	अनु0 जाति/ अनु0 जनजाति	10,000	85.00	20.40	13.60	34.00
3	सामान्य	10,000	85.00	15.30	10.20	25.50

(v) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की राशि 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य (Civil Work) पूरा होने एवं लेयर चिक्स (5,000/10,000) का लॉट रखने के साक्ष्य, लेयर मुर्गी के साथ लाभुक का फोटोग्राफ एवं फार्म का फोटो प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

(vi) लाभुक को अनुमान्य अनुदान की शेष राशि 40 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान फीड मिल गोदाम, फीड मिल उपकरण, जेनरेटर इत्यादि के संस्थापन के साथ लाभुक का फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

(vii) लाभुक के द्वारा अनुदान की राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) प्राप्त करने हेतु आवेदन विहित प्रपत्र **(प्रपत्र–4)** में पशुपालन निदेशालय में जमा करना होगा, जिसकी प्राप्ति आवेदक को दी जायेगी।

(viii) लाभुक द्वारा अनुदान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन को संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय लाभुक का स्थल (लेयर मुर्गी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे लेयर मुर्गी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

(x) **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोंपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात् लाभुक को अनुदान राशि का भुगतान करने हेतु अपनी अनुशंसा के साथ एवं स्थल निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–5)** (लेयर मुर्गी फार्म के फोटोग्राफ सहित) संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xi) निरीक्षण–सह–जाँच प्रतिवेदन **(प्रपत्र–5)** पशुपालन निदेशालय में प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान का भुगतान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) लाभुक के नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा जिसकी विधिवत् रूप से प्राप्ति का साक्ष्य पशुपालन निदेशालय में संधारित किया जायेगा।

(xii) संगत राज्यादेश की कंडिका–8 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–1 7 में इस योजना के लिये स्वीकृत राशि निदेशक, पशुपालन, बिहार द्वारा बी0टी0सी0 फार्म–42 पर आवश्यकतानुसार राशि की निकासी कर **बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी0एल0डी0ए0), पटना** के खाता में रखी जायेगी। लाभुक को अनुदान की राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) का भुगतान उक्त खाता के माध्यम से किया जायेगा।

6– लक्ष्य :–

वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु स्वीकृत योजना के आलोक में लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) की स्थापना का भौतिक/वित्तीय लक्ष्य (कोटिवार) निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	लेयर मुर्गी फार्म की क्षमता	कोटि	**लक्ष्य** (लेयर मुर्गी फार्म, फीड मिल सहित की संख्या)
1	5,000	अनुसूचित जाति	35 (पैंतीस)
2	10,000	अनुसूचित जाति	16 (सोलह)
3	5,000	अनुसूचित जनजाति	11 (ग्यारह)
4	10,000	अनुसूचित जनजाति	6 (छः)
5	10,000	सामान्य	14 (चौदह)
		कुल :–	**82 (बयासी)**

7– योजना का अनुश्रवण/अन्यान्यः–

(i) जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी के स्तर से किया जायेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह लेयर मुर्गी फार्म में चूजा/मुर्गियों की स्वास्थ्य जाँच की जायेगी। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इस कार्य में आवश्यकतानुसार जिले में पदस्थापित अन्य पशु चिकित्सकों का सहयोग लिया जा सकेगा।

(ii) लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना में Bio-Security measures का अनुपालन करना लाभुक का दायित्व होगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा Bio-Security measures के अनुपालन की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

(iii) योजना अन्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को **लेयर मुर्गी फार्म का मासिक प्रगति प्रतिवेदन** समर्पित करना अनिवार्य होगा।

संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में स्थापित सभी लेयर मुर्गी फार्म से प्राप्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन का संकलन कर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा विभागीय स्तर पर की जायेगी।

(v) किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(राधेश्याम साह)
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक– 10 नि0 (यो0) 05/2016 ...../पटना–15, दिनांक– ...../2016

प्रतिलिपि :– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–1

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त

आवेदन का जाँच पत्र

*(निदेशालय स्तर पर गठित चार–सदस्यीय **स्क्रीनिंग समिति** द्वारा तैयार किया जायेगा)*

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/.....

पिता/पति का नाम :– .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....

थाना : ..... प्रखंड : .....

जिला : ..... पिन कोड : .....द्वारा *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र पूर्ण रूप से सही है/ आवेदन पत्र में निम्नांकित त्रुटियाँ पायी गयी हैं (जो लागू न हों उसे काट दें) :–

1– .....

.....

2– .....

.....

3– .....

.....

आवेदक द्वारा उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु आपत्ति समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि/समय दिनांक–..... के 5.00 बजे अप0 तक निर्धारित की जाती है। आवेदक द्वारा समर्पित की गई आपत्तियों की सुनवाई दिनांक–..... को ..... बजे पूर्वा0/अप0 में की जायेगी जिसमें आवेदक को स्वयं उपस्थित रहना होगा। *(आवेदन पत्र में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में भरा जायेगा)*

Admin, Online Application System	**प्रभारी पदाधिकारी (योजना) पशुपालन निदेशालय।**	**महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना।**	**संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन निदेशालय।**

प्रपत्र–2

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवश्यक जाँचोपरान्त पशुपालन निदेशालय को समर्पित किये जाना वाला **जाँच पत्र**

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

आवेदक श्री/श्रीमती/सुश्री/.....

पिता/पति का नाम :– .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....

थाना : ..... प्रखंड : .....

जिला : ..... पिन कोड : .....द्वारा *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु समर्पित किये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाओं/तथ्यों की जाँच की गई एवं आवेदक के द्वारा प्रस्ताावित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट स्थल पर जाकर स्थलीय जाँच की गई।

1– आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचना/तथ्य जाँचोपरान्त सही पाया गया/सही नहीं पाया गया। *जो लागू न हो उसे काट दें)*

2– आवेदक द्वारा प्रस्तावित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट स्थल पर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण किया जा सकता है/नहीं किया जा सकता है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

3– कोई अन्य सूचना (यदि हो तो) – .....

.....

.....

4–आवेदक को ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु चयनित करने की अनुशंसा की जाती है/निम्नांकित कारणों से अनुशंसा नहीं की जाती है *जो लागू न हो उसे काट दें)*:–

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य)**	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**

प्रपत्र–3

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र

ज्ञापांक :– ..... दिनांक :– .....

सेवा में,

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

श्री/श्रीमती/सुश्री/ .....

पिता/पति का नाम :– .....

ग्राम : ..... पोस्ट : .....

थाना : .....प्रखंड : .....

जिला : .....पिन कोड : .....

विषय :– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभुक के चयन के उपरान्त निर्गत स्वीकृति पत्र के संबंध में।

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु आपके द्वारा समर्पित आवेदन (**आवेदन का प्रकार – बैंक ऋण/स्वलागत)** को जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक.....दिनांक–.....) एवं पशुपालन निदेशालय स्तर पर गठित चयन समिति की अनुशंसा (ज्ञापांक–..... दिनांक–.....) के आलोक में आपको योजनान्तर्गत लाभ प्रदान करने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन चयनित किया जाता है :–

1– आवेदन पत्र के साथ समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आपके द्वारा 5,000/10,000 मुर्गी क्षमता के लेयर मुर्गी फार्म (फीड मिल सहित) की स्थापना की जायेगी, जिसके आधार पर आपको अधिकतम रूपये ..... लाख का अनुदान दिया जायेगा।

2– आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के आलोक में आप निम्नलिखित निर्माण इकाई/मशीनरी के लिये अनुदान की पात्रता रखते हैं :–

(क) निर्माण इकाई का माप –

क्र0	शेड सं0	शेड का प्रकार	शेड का क्षेत्रफल (वर्गफीट)	अभ्युक्ति

(ख) फीड मिल मशीन एवं उपकरण –

क्र0	मशीन का प्रकार	अभ्युक्ति

3– इस स्वीकृति पत्र के निर्गत होने के **10 दिनों** के अन्दर आपको विभागीय प्रतिनिधि (संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी) के साथ रूपये 1000/– का नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर एकरारनामा करना होगा।

4– एकरारनामा संपादित किये जाने के उपरान्त आपके द्वारा समर्पित परियोजना प्रस्ताव के अनुरूप 30 दिनों के अन्दर लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कराना प्रारम्भ किया जायेगा, जिसकी सूचना आपके द्वारा संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को दी जायेगी।

5– आपके द्वारा लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि के **30 दिनों** के उपरान्त संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा।

6–एकरारनामा संपादित करने की तिथि से **30 दिनों के अंदर** लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने की स्थिति में आपके पक्ष में निर्गत स्वीकृति पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

7– योजना अन्तर्गत आपको अनुमान्य अनुदान की राशि का भुगतान दो किस्तों में किया जायेगा।

8– आपको अनुमान्य अनुदान की राशि 60 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में लेयर मुर्गी फार्म का निर्माण कार्य (Civil Work) पूरा होने एवं लेयर चिक्स (5,000/10,000) का लॉट रखने के साक्ष्य, लेयर चिक्स (मुर्गी) के साथ आपका फोटोग्राफ एवं फार्म का फोटो प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

9– आपको अनुमान्य अनुदान की शेष राशि 40 प्रतिशत द्वितीय किस्त के रूप में भुगतान फीड मिल गोदाम, फीड मिल उपकरण, जेनरेटर इत्यादि के संस्थापन के साथ आपका फोटोग्राफ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के उपरान्त किया जायेगा।

10– आपके द्वारा अनुदान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) प्राप्त करने हेतु दिये गये आवेदन के आलोक में संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा स्थल निरीक्षण किया जायेगा। स्थल निरीक्षण के समय आपको स्थल (लेयर मुर्गी फार्म) पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा। स्थल निरीक्षण के क्रम में **त्रि–सदस्यीय स्थल निरीक्षण–सह–जाँच समिति** द्वारा पूरे लेयर मुर्गी फार्म की विधिवत् रूप से फोटोग्राफी करायी जायेगी।

11– अनुदान की राशि का भुगतान (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) आपके नाम से एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

12– भविष्य में यदि पाया गया कि आपके द्वारा पूर्व में विभाग की तरफ से लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना हेतु अनुदान प्राप्त किया गया है तो इस योजना के अन्तर्गत आपको कोई अनुदान/लाभ देय नहीं होगा तथा यदि वर्त्तमान योजना में कोई लाभ/अनुदान दिया गया है, तो इसकी वसूली किये जाने के साथ–साथ आपके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

13– अनुदान की राशि (प्रथम किस्त/द्वितीय किस्त) के अतिरिक्त आपको कुल चार वर्षों तक बैंक ऋण के ब्याज (Interest Component) पर 50 प्रतिशत राशि अनुदान दिया जायेगा बशर्त्ते कि इस हेतु प्रत्येक वर्ष विभागीय स्तर से योजना स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाये। स्वलागत से लेयर फार्म स्थापित करने पर बैंक ऋण के ब्याज पर अनुदान देय नहीं होगा।

14– किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विवादों का निपटारा करने के लिये प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक–...../पटना–15, दिनांक–...../2016

प्रतिलिपि :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ... /क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, ...
.....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।

प्रपत्र–4

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत ''लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना'' के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान की राशि प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या .....दिनांक ..... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री .....

आई.डी. संख्या–

पिता/पति का नाम :– .....ग्राम : .....

पोस्ट : .....थाना : ..... प्रखंडः .....

जिला : .....पिन कोड : ..... द्वारा अनुदान का प्रथम/द्वितीय किस्त के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। *(जो लागू न हो उसे काट दें।)*

क्र0 सं0	**मद**	**अनुदान राशि जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है। (अंक एवं शब्दों में)**
1.	कुल परियोजना लागत	
2.	कुल स्वीकृत अनुदान की राशि	
3.	अनुदान की राशि का 60 प्रतिशत (प्रथम किस्त)	
4.	अनुदान की का राशि 40 प्रतिशत (द्वितीय किस्त)	

1– लेयर मुर्गी फार्म संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है। प्रमाण स्वरूप लेयर मुर्गी फार्म संरचना का फोटोग्राफ तथा लेयर चिक्स क्रय का अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न किया जा रहा है तथा अनुदान की राशि का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत रूपये .... लाख रूपये का भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

2– फीड यूनिट गोदाम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फीड मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर का क्रय संबंधित अभिश्रव (कैशमेमो) संलग्न कर अनुदान की राशि का द्वितीय किस्त अधिकतम रूपये .... लाख का भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

3– मुझे अनुदान दावा का प्रथम किस्त 60 प्रतिशत रूपये .....लाख/ द्वितीय किस्त 40 प्रतिशत रूपये ..... लाख का भुगतान किया जाये। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

तिथि .....

आवेदक का हस्ताक्षर

(अनुदान दावा आवेदन पत्र में लाभुक अपना नाम एवं हस्ताक्षर तथा तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे)

प्रपत्र–5

कार्यालय :– जिला पशुपालन पदाधिकारी, ...

वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजनान्तर्गत *"समेकित मुर्गी विकास योजना"* के तहत "लेयर मुर्गी पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान की योजना" के अन्तर्गत लेयर मुर्गी फार्म की स्थापना पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने हेतु

अनुदान (प्रथम/द्वितीय किस्त) प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र का जाँच पत्र

पशुपालन निदेशालय, बिहार के स्वीकृति पत्र संख्या .....दिनांक ..... के आलोक में आवेदक श्री/श्रीमति/सुश्री .....

आई.डी. संख्या– | | | | | | | | | | | | | | |

पिता/पति का नाम :– .....ग्राम : ..... पोस्ट : .....थाना : ..... प्रखंडः .....जिला : .....पिन कोड : ..... द्वारा अनुदान का प्रथम/द्वितीय किस्त के लिए समर्पित आवेदन/दावा के आलोक में लाभुक के द्वारा स्थापित लेयर मुर्गी फार्म यूनिट स्थल पर जाकर जाँच की गई। जाँचोपरान्त पाया गया कि :–

1– लाभुक द्वारा लेयर मुर्गी फार्म संरचना का निर्माण कार्य (Civil work) पूरा कर लिया गया है एवं चिक्स लॉट का क्रय कर फार्म इकाई में रख ली गयी है। (फोटोग्राफ संलग्न)

2– फीड यूनिट गोदाम की संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फीड मशीन एवं उपकरण, जेनरेटर का निर्माण/संस्थापन कर लिया गया है। (फोटोग्राफ संलग्न)

लाभुक श्री ..... को अनुदान की राशि का प्रथम किस्त रूपये ..... लाख/द्वितीय किस्त रूपये ..... लाख का भुगतान करने की अनुशंसा की जाती है। *(जो लागू न हो उसे काट दें)*

सहायक कुक्कुट पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(सदस्य)**	जिला में पदस्थापित अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी/पशु शल्य चिकित्सक (जो भी वरीय हों) **(सदस्य)**	जिला पशुपालन पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर। **(अध्यक्ष)**